

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजधानी
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-21082021-229174
SG-DL-W-21082021-229174

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]	दिल्ली, अगस्त 13—अगस्त 19, 2021, बृहस्पतिवार/श्रावण 22—श्रावण 28, 1943	[रा.रा.क्षे.दि.सं. 135, 139
No. 14]	DELHI, AUGUST 13—AUGUST 19, 2021, THURSDAY/SRAVANA 22—SRAVANA 28, 1943	[N.C.T.D. No. 135, 139

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 17 अगस्त, 2021

सं0फा0 3/2/2020—न्याय/अधी.विधि./765—768.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का अनुच्छेद 15) की धारा 6 और 9 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाईयों के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2019 से 30 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए पादरी सैमुएल थॉमस, सिटी फेलोशिप सेंटर, एफ-58, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 के लाइसेंस को नवीनीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
रमेश राम, उप-सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th August, 2021

F. No. 3/2/2020-Judl./Suptlaw/765-768.—In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (Act 15 of 1872), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord approval to the renewal of Christian Marriage License to Pastor Samuel Thomas attached to the City Fellowship Centre, F-58, Green Park, New Delhi-110016 to solemnize marriages between Indian Christians within the National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage, for a period of three years i.e. from 31st December, 2019 to 30th December, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

RAMESH RAM, Dy. Secy. (Law, Justice & L.A.)

राजस्व विभाग दिल्ली

(सामान्य प्रशासन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

सं. 1(211)/GA/DC/HQ/2019/1681.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक १९ अगस्त १९९६ की अधिसूचना संख्या यू-११०३०/२/९६-यूटीएल/एसओ-५७२ के साथ पठित दिल्ली वक्फ अधिनियम, १९९७ के नियम ३ तथा वक्फ अधिनियम, १९९५ (१९९५ का ४३) की धारा ४ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सशक्त बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा मोहम्मद अहसान आबिद, दानिक्स:1996 को तुरंत प्रभाव से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्यमान औक्रफ के सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आयुक्त औक्रफ सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त करते हैं।

आदेशानुसार, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली के नाम पर तथा उन्हीं की ओर से,

अनिल सिरोही, उपसचिव (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT DELHI

(GENERAL ADMINISTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2021

F.No. 1(211)/GA/DC/HQ/2019/1681.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and rule 3 of the Delhi Waqf Rules, 1997 read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/2/96-UTL/SO 572 dated 19th August, 1996 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints, with immediate effect, Mohammed Ahsan Abid, (DANICS:1996) as Survey Commissioner of Auqaf for the purpose of making a survey of Auqaf existing in the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ANIL SIROHI, Dy. Secy. (Revenue)